s. No.	Name of the Officer	Name of the area(s)
74.	Shri T. N. Shrirangaswami	Bhubneswar (Orissa)
75.	Shri V. K. Sharma	Kamla Nehru Nagar, Ghaziabad.
76.	Shri M. S. Jana	Katol Road Colony, Nagpur
77.	Shri M. K. Verma	Karnal (Haryana)
78.	Shri P. V. Shankar	Kanel Ngr., Antop Hills, Mumbai
79.	Shri J. Kannan	Chennai, Madras
80.	Shri J. M. Singh	Malad, Mumbai
81.	Shri Chandan Sinha	Mussoorie (U.P.)
82.	Shri K. N. Mishra	Noida (U.P.)
83.	Shri H. P. Solonki	Ranchi (Bihar)
.. 84.	Dr. M. A. Rao	Seminary Hills, Nagpur
85.	Shri G. Venkataya Narayana	Airport Qrs. M/o Industry, Begumpet (KVIV), Hyderabad.
86.	Dr. A. N. Singh	Area falling under Dis. No. 1 and 2, Jabalpur.
87.	Dr. B. M. Jha	Faridabad (NH. IV)

सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन

1747. श्री दिलीप सिंह जूदेवः क्या प्रधान मंत्री 24 जुलाई, 1997 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 35 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार में किन-किन विभागों में तथा किस तारीख से " सूचना का अधिकार" लागू कर दिया गया है;

(ख) ये अनुदेश कब जारी किए गए;

(ग) इन अनुदेशों के पालन के लिए किन-किन मंत्रालयों में सुविधाएं प्रदान की गई है तथा काउन्टर खोले गए है; और

(घ) 1.10.97 से 31.5.98 तक विभाग-वार कितनी-कितनी सूचनाएं दी गई तथा कितनी सूचनाएं देने से इंकार कर दिया गया?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त बैकिंग, राजस्व और बीमा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर0जनार्दन): (क) से (घ) जनवरी, 1997 में, सरकार ने "सूचना का अधिकार तथा खुली एवं पारदर्शी सरकार को बढ़ावा देने" के बारे में श्री एच0 डी0 शौरी की अध्यक्षता में एक कार्यदल गाठित किया था। इस कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ, संसद द्वारा "सूचना का स्वातंत्र्य अधिनियम" को अधिनियमित किए जाने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्त मई 21, 1997 को सरकार को प्रस्तुत कए दी। उपर्युक्त कार्यदल की सिफारिश पर विचार प्रगत अवस्था में चल रहा है इसके साथ-साथ ही मौजूदा सांविधिक/प्रशासनिक ढांचे में भी प्रशासन को और अधिक खुला और पारदर्शी बनाए जाने के संबंध में कदम उठाए जा रहे है। तदनुसार, सभी मंत्रालयों/विभागों को इस संबंध में आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए है। दिल्ली में जनता के व्यापक और सीधे संस्पर्श में रहने वाले मंत्रालयों/ विभागों से भी सूचना-सुविधा-काउंटर स्थापित करने के लिए कहा गया है। मंत्रालयों/ विभागों में स्थापित किए गए काउंटरों की सूची विवरण के रूप में संलग्र है । (नीचे देखिये) सूचना सुलभ करवाए जाने के ऐसे अनुरोधों की संख्या के बारे में जानकारी, इस मंत्रालय द्वारा केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती जिनमें इन काउंटरों द्वारा सूचना दे दी गई थी/ सूचना देने से इंकार कर दिया गया थाः

विवरण

उन मंत्रालयों? विभागों की सूची, जिनमें "सूचना-सुविधा काउंटर" कार्य कर रहे है:-

क्रम सं0	मंत्रालय/विभाग का नाम	उस भवन का नाम जहां सूचना-सूविधा काउंटर स्थापित किया गया है
1.	गृह मंत्रालय	नोर्थ ब्लाक
2.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	"
3.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	"
4.	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा-शुल्क बोर्ड	"
5.	दूरसचार विभाग	संचार भवन
6.	रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड)	रेल भवन
7.	कृषि और सहकारिता विभाग	कृषि भवन
8.	पशुपालन तथा डेयरी विभाग	"
9.	उर्वरक विभाआग	"
10.	खाद्य एवं नागरिक आपुर्ति विभाग	"
11.	चीनी एवं खाद्य तेल विभाग	"
12.	उपभोक्ता कार्य विभाग	"
13.	ग्रामीण विकास विभाग	"
14	ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन विभाग	"
15.	रसायन तथा पेट्रो-रसायन विभाग	शास्त्री भवन
16.	कोयला मंत्रालय	"
17.	शिक्षा विभाग	"
18.	युवा-कार्य एवं खेल विभाग	"
19.	संस्कृति विभाग	"
20.	महिला एवं बाल विकास विभाग	"
21.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	"
22.	खान मंत्रालय	"
23.	पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय	"
24.	कल्याण मंत्रालय	"
25.	कम्पनी कार्य विभाग	"
26.	वाणिज्य मंत्रालय	उद्योग भवन
27.	औद्योगिक विकास विभाग	"
28.	भारी उद्योग विभाग	"
29.	औद्योगिक नति एवं संवर्धन विभाग	"
30.	इस्पाल मंत्रालय	"
31.	वस्त्र मंत्रालय	"
32.	पूर्ति विभाग (पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय)	जीवन तारा भवन (संसद मार्ग)
33.	स्वास्थ्य विभाग	निर्माण भवन
34.	परिवार कल्याण विभाग	"

क्रम सं0	मंत्रालय/विभाग का नाम	उस भवन का नाम जहां सूचना-सूविधा काउंटर स्थापित किया गया है
35.	लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग	
36.	सम्पदा निदेशालय	
37.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	
38.	भूमि एवं विकास कार्यालय	
39.	शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग	
40.	डाक विभाग	डाक भवन
41.	नागर विमानन मंत्रालय	राजीव गांधी भवन
		सफदरजंग हवाई अड्डा
42.	संघ लोक सेवा आयोग	धौलपुर हाऊस,
		शाहजहां रोड।
43.	पर्टन विभाग	परिवहन भवन ।

मंत्रालयों में भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ

1748. श्री दिलीप सिंह जूदेवः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी मंत्रालयों में भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकोष्ठ की भूमिका और कार्य क्या है;

(ग) क्या यह प्रकोष्ठ आम आदमियों द्वारा सरकारी कर्मचारियों और विशिष्ट व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की रिपोर्ट दर्ज़ कर रहा है;

(घ) क्या आम आदमी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए कोई संस्थागत तन्त्र है; और

(ड) मंत्रालय-वार आज तक इस प्रकोष्ठ को कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त (बैंकि, राजस्व और बीमा) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर0 जनार्दन) (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठते।

(घ) और (ड) मंत्रालयों/ विभागों के सचिव और अध्यक्ष अपने-अपने मंत्रालयों ? विभागों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होते है। सभी मंत्रालयों / विभागों में अपने-अपने अंशकालिक मुख्य सतर्कता-अधिकारी होते है जिनसे यह अपेक्षित होता है कि वे अपने-अपने मंत्रालय/ विभाग में प्राप्त भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के संबंध में नियमानुसार आगे कार्रवाई करने के सिलसिले में मामले की समुचित जांच-पड़ताल, करें। चूंकि यह कार्य प्रत्येक मंत्रालय/

विभाग में स्थापित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है अतः यह केन्द्रीकृत रूप से मॉनीटर किया जाना अपेक्षित नहीं है।

आई0ए0एस/आई0पी0एस0 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

1749. श्री जनार्दन यादवः क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक सेवा के अन्तर्गत नियुक्त किए गए कितने आई0ए0एस/आई0पी0एस0 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है; और